ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 244 / 16–17

शंकर पासवान बनाम् शिव नारायण पासवान

१५

–: आदेश :–

30.11.2021

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक शंकर पासवान, पे0–स्व0 रामपाल पासवान, सा0–नरोत्तमपुर, थाना–हनवारा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–नरोत्तमपुर नं0–467, जमाबंदी नं0–54, दाग नं0–463, 464 के अंदर कुल रकवा– 00–05–15 धूर भूमि से विपक्षी शिवनारायण पासवान व शंभू पासवान पे0–स्व0 भशौनी पासवान, जलधर पासवान, पे0–स्व0 राम पासवान, सभी सा0–नरोत्तमपुर, थाना–हनवारा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के कैफियत खाना में भोथरी हाजरा व जगू हाजरा, पे0–दलु हाजरा, कौम–दूसाध के नाम से दखलक्यारी कहकर दर्ज है और सभी फरिकेन अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हैं। आवेदक की अनुपस्थिति में विपक्षीगण द्वारा सरकारी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को गुमराह करके प्रासंगिक भूमि पर इंदिरा आवास योजना के तहत् मकान निर्माण करा लिया गया है, जिसमें वे अनधिकृत रूप से सपरिवार निवास कर रहे हैं। आवेदक द्वारा विरोध करने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण का कोई सरोकार नही है। विपक्षीगण पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं जिनका संबंध असामाजिक तत्वों के साथ भी है। आवेदक की पैतृक सम्पति पर विपक्षीगण दखल किये हुए हैं। आवेदक अकेला एवं निर्बल व्यक्ति है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भोथरी हाजरा वगै0, कौम–दूसाध के नाम से कहकर दर्ज है। जमाबंदी रैयत की एक बहन सुन्दरी देवी है, जिसकी शादी बैजु पासवान से हुई। सुन्दरी देवी के ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जमाबंदी रैयत भोथरी हाजरा व जगू हाजरा दोनों भाईयों ने अपनी बहन सुन्दरी देवी को प्रासंगिक भूमि मकान बनाने हेतु दिया, जिसमें सुन्दरी देवी मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रही है, जिसका साक्ष्य ग्रामीणों के समक्ष हुए पंचनामा से भी किया जा सकता है। आवेदक विपक्षीगण का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् बना हुआ मकान हड़पना चाहते हैं। विपक्षीगण द्वारा जब प्रासंगिक भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान का निर्माण किया जा रहा था, तब आवेदक द्वारा को कोई आपत्ति नहीं की गई थी। विपक्षीगण को परेशान करने व प्रासंगिक भूमि जबरन हड़पने की नियत से उक्त वाद लाया गया है। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति नहीं है। विपक्षीगण सुन्दरी देवी के परिवार से आते हैं और वर्षो से दखलकार चले आ रहे हैं। साक्ष्य के रूप में CWJC 1970 of 1975 में पारित आदेश एवं 2003JCR 230 Jharkhand High Court में पारित आदेश की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोपरांत प्रासंगिक भू–भाग में बने हुए मकान एवं आवागमन हेतु रास्ता को छोड़कर शेष वादगत भूमि से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/11/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30/11/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:31:42 +05:30
Location: 192.168.8.107